

झारखंड सरकार  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग  
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

पत्र सं०- 2. वि०प्रा०योजना -35/15

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग आदि के निमित्त विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कुल 3,00,00,000/- (रु० तीन करोड़) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग/सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के निमित्त विभिन्न कार्यक्रम किया जाने का प्रस्ताव है। इसी क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 833 दिनांक 07.10.2024 द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर/खरसावाँ/जगन्नाथपुर तथा राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर के विद्यार्थियों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु इंडो डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर का चयन किया गया है। उक्त प्रशिक्षण कार्य हेतु संबंधित तकनीकी शिक्षण संस्थान के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाना है।

अतः वित्त विभागीय पत्रांक 338 दिनांक 28.03.2025, पत्रांक 624 दिनांक 02.09.2025 तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 833 दिनांक 07.10.2024 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 3,00,00,000/- (रु० तीन करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि की निकासी एवं व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-A7-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग-(Sub Scheme Head-01-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्किंग और सहयोग) विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय के परामर्शी शुल्क ईकाई में उपबंधित राशि में से रु० 3,00,00,000/- (रु० तीन करोड़) मात्र विकलनीय होगा।

विपत्र कोड - 43S220300003A7010331

3. उपर्युक्त राशि का आवंटन आवश्यकतानुसार विभागान्तर्गत प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग/सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के लिए विभागीय अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/निदेशक, बी०आई०टी० सिन्दरी/संबंधित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान के निदेशक/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य या विभाग द्वारा घोषित पदाधिकारी होंगे।

5. राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/जिला कोषागार, राँची/धनबाद/पलामू/कोडरमा/बोकारो/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/दुमका/जमशेदपुर/सरायकेला/उप कोषागार, तेनुघाट से की जायेगी।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
7. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा स्कीम कोड 1288 है।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित्त विभाग के आदेश ज्ञापांक- 338 दिनांक-28.03.2025 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।
9. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
10. विषयांकित राशि वित्त विभाग के पत्रांक 624/बजट दिनांक 02.09.2025 के द्वारा प्रथम अनुपूरक से प्राप्त हुआ है।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2741 दिनांक- 23/10/03 के आलोक में प्रारूप पर आन्तरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
12. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
13. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
14. व्यय विवरणी, टी०भी०न० सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव

/राँची, दिनांक-

ज्ञापांक- 2.वि०प्रा०योजना -35/15

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/जिला कोषागार, राँची/धनबाद /पलामू/कोडरमा/बोकारो/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/दुमका/जमशेदपुर /सरायकेला/उप कोषागार, तेनुघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव

/राँची, दिनांक- 19/02/2026

ज्ञापांक- 2.वि०प्रा०योजना -35/15/30/योजना

प्रतिलिपि- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड, /आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक, बी०आई०टी० सिन्दरी/कुल सचिव, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय/माननीय विभागीय मंत्री प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थान, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload करने हेतु/बजट शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.2.26

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव

२५/१